

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 17 ^{अप्रैल} मार्च 2023

विषय:-स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण(एसएचजी) 2023 निर्धारित समय सीमा के साथ पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4157/33-3-2022 दिनांक 24 नवम्बर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की प्रक्रियाओं एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 से सम्बन्धित डैश बोर्ड, टूलकिट, बेसलाइन मूल्यांकन इत्यादि के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत किस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में प्रतिभाग करेगी और कैसे ओडीएफ प्लस की तीन श्रेणी में से किसी न किसी श्रेणी में स्थापित कर सकेगी, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

इस सम्बन्ध में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में चरणबद्ध टाइम लाइन निम्नवत् है-

क्र. सं.	गतिविधियां	समयसीमा
1	ग्राम पंचायतों द्वारा अपने समस्त ग्रामों का प्रथम स्वमूल्यांकन।	19 नवम्बर 2022 से 31 जनवरी 2023
2	ग्राम पंचायतों द्वारा अपने समस्त ग्रामों का अन्तिम स्वमूल्यांकन।	30 अप्रैल 2023 तक
3	स्वमूल्यांकित ग्राम पंचायतों के सहभागी सत्यापन को पूर्ण करना	
	विकास खण्ड स्तर (सभी स्वमूल्यांकित ग्राम पंचायतों का सहभागी सत्यापन)	1 मई 2023 से 15 जून 2023
	जनपद स्तर (सभी स्वमूल्यांकित ग्राम पंचायतों में से विकास खण्ड द्वारा शार्ट लिस्ट की गई ग्राम पंचायतों की सहभागी सत्यापन)	16 जून 2023 से 30 जून 2023
	राज्य स्तर सभी(स्वमूल्यांकित ग्राम पंचायतों में से जनपद द्वारा शार्ट लिस्ट की गई ग्राम पंचायतों की सहभागी सत्यापन)	01 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023
4	जनपद स्तर- श्रेष्ठ पंचायतों का चयन एवं पुरस्कृत करना।	31 जुलाई 2023 तक


5	राज्य स्तर- श्रेष्ठ पंचायतों का चयन एवं पुरस्कृत करना।	15 अगस्त 2023 तक
6	राज्य स्तर द्वारा नामित उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा सत्यापन	16 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023
7	ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करना।	02 अक्टूबर 2023

2- उपरोक्त टाइम लाइन के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तहत सहकर्मी सत्यापन प्रोटोकॉल की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के अनुसार सहकर्मी सत्यापन हेतु टीमों का गठन आईएमआईएस लॉगिन के तहत सहकर्मी सत्यापन की रिपोर्ट एवं प्रक्रिया इत्यादि का निर्धारण किया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के सम्बन्ध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार निर्धारित टाइम लाइन एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की प्रक्रियाओं को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-1-शासनादेश संख्या-4157 दिनांक 24 नवम्बर 2022,


2-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल

भवदीय,

 (मनोज कुमार सिंह)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०) उ०प्र०।
3. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी उ०प्र०।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी(पंचायत) उ०प्र०।
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) उ०प्र०।
6. समस्त ग्राम प्रधान उ०प्र०।
7. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत उ०प्र०।

आज्ञा से

 (अवधेश कुमार खरे)
 संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज-अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-24 नवम्बर, 2022

विषय: "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023" के प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-W/11042/133/2022/-JJM-IV-DDWS दिनांक-12.11.2022 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से देश में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 के प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं तथा राज्य में क्रियान्वित किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा थर्ड पार्टी संस्था के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में वार्षिक आधार पर फीडबैक लिया जाता है तथा सर्विस लेवल की प्रगति की समीक्षा कर अंक प्रदान किया जाता है। दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2022 को चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला तथा दिनांक 21 नवम्बर, 2022 को आयोजित जिलाधिकारीगण के ऑनलाइन कांफ्रेंस में सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि आगामी "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023" में समस्त ग्रामों का स्वमूल्यांकन कर प्रगति का सत्यापन किया जाना है। वर्ष 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों हेतु चयन सर्विस लेवल पैरामीटर्स तथा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिनमें ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए स्वमूल्यांकन के समानुपातिक अंक शामिल हैं, के आधार पर किया जायेगा। यदि जनपद की किन्ही ग्राम पंचायतों द्वारा स्व मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो उतने स्वमूल्यांकन अंक कम कर दिए जायेंगे। स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 हेतु चयनित 4723 ग्रामों के अतिरिक्त अन्य समस्त ग्रामों में भी अविलम्ब ओ.डी.एफ.प्लस के कार्य प्रारंभ कराया जाना आवश्यक है ताकि स्व मूल्यांकन में जनपदों को उच्च अंक प्राप्त हो सकें।

3- केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री द्वारा "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023" एवं सम्बंधित प्रयासों हेतु एक डैश बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इस डैशबोर्ड पर जनपदों एवं राज्यों हेतु दूल्किट, बेसलाइन स्कोर, श्रेणी एवं वर्तमान स्कोर को प्रदर्शित किया गया है। इन प्रयासों का लक्ष्य है कि योजना के KPI (Key Performance Indicators) का जनपद स्तर पर सतत एवं सामयिक मूल्यांकन किया जा सके, साथ ही जनपदों के लिए सामयिक पुरस्कार एवं सम्मानों के प्रावधानों का आंकलन किया जा सके। यह जनपदों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को गति प्रदान करेगा।

4- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-735/33-3-2022-116 दिनांक 10 मई, 2022 के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-11 के अंतर्गत 4723 चयनित गाँवों को ओ.डी.एफ. प्लस माडल कटेगरी का गाँव बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तत्क्रम में चयनित गाँवों की कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार कर आवश्यक धनराशि की क्रेडिट लिमिट ग्राम पंचायत के खातों में उपलब्ध करायी गयी है। ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना के अनुरूप स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6464 गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस बनाये जाने हेतु धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गई है।

5- समस्त जनपद उपरोक्त चिन्हित 4723 ग्रामों के अतिरिक्त अन्य समस्त गावों में भी 15वां वित्त आयोग की टाइड ग्राण्ट तथा मनरेगा, इत्यादि में उपलब्ध धनराशि से ओ.डी.एफ. प्लस के कार्य प्रारंभ कर लें ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 में संगत स्व-मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही जनपदों द्वारा जनसंख्या के घटते हुए क्रम में ग्राम पंचायतों का चयन कर उनकी ओ.डी.एफ. प्लस कार्ययोजना पूर्व निर्धारित विधि से तैयार करते हुए उसकी स्वीकृति जनपद स्तर से ही प्रदान कर दी जाये। स्वीकृति के उपरांत जिला पंचायतराज अधिकारी के द्वारा कार्ययोजना को वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा शीघ्रता से क्रेडिट लिमिट सम्बन्धित को आवंटित कर दिया जायेगा।

6- समस्त कार्यकलाप शीघ्रता से सम्पादित किया जाय ताकि 31 मार्च, 2023 तक प्रदेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत ग्राम ओ.डी.एफ. प्लस के किसी न किसी श्रेणी-उदीयमान, उज्ज्वल अथवा उत्कृष्ट में श्रेणीकृत हो जायें तथा प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतें दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ओ.डी.एफ. प्लस की उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त कर लें।

7- इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त मंडलीय उप निदेशक(पं०), उ०प्र०।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
संयुक्त सचिव।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) 2023 के तहत सहकर्मिसत्यापन प्रोटोकॉल (Peer Verification Protocol)

एसएसजी 2023 टूलकिट के अनुसार सहकर्मि सत्यापन: एसएसजी 2023के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायतों (ग्राम पंचायत) के लिए एक स्व-मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने एसएसजी 2023 के तहत अपने बेसलाइन गांव स्व-मूल्यांकन को पूरा कर लिया है। ग्राम पंचायतों द्वारा अंतिम ग्राम स्व-मूल्यांकन 30 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाना है। अंतिम गांव स्व-मूल्यांकन पूरा होने के बाद, यहां ब्लॉक स्तर पर एक सहकर्मि सत्यापन होगा। ब्लॉक स्तर पर चुने गए गांवों का आगे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा ताकि देश में सर्वश्रेष्ठ पंचायतों की पहचान की जा सके। सत्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- i. ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में सर्वश्रेष्ठ पंचायतों की पहचान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सहकर्मि सत्यापन किया जाएगा। सहकर्मि मूल्यांकन का आयोजन जिला जल और स्वच्छता मिशन/जिला कलेक्टर के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सहकर्मि मूल्यांकन के अवलोकन भी डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे।
- ii. जिले में सर्वश्रेष्ठ पंचायतों की पहचान करने के लिए डीडब्ल्यूएसएम द्वारा जिले के प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत का सहकर्मि सत्यापन आयोजित किया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायत को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
- iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पंचायतों की पहचान करने के लिए एसडब्ल्यूएसएम द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों का सहकर्मि सत्यापन आयोजित किया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ऐसी चिह्नित ग्राम पंचायतों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के लिए नामित किया जाएगा।

जिला स्तरीय सहकर्मि सत्यापन के लिए दिशा-निर्देश

1. ग्राम पंचायतों (ग्राम पंचायत) के ब्लॉक स्तरीय सहकर्मि सत्यापन के लिए सहकर्मि सत्यापन टीम का गठन

जिला कलेक्टर, ब्लॉक में प्रत्येक ग्राम पंचायत का सहकर्मि सत्यापन करने के लिए 3 लोगों (कम से कम 2 सरकारी अधिकारियों को शामिल करके) की एक टीम का गठन करेंगे, सहकर्मि सत्यापन टीम के एक सदस्य के रूप में पंचायत सचिव को वरीयता दी जा सकती है। सभी ग्राम पंचायतों का सहकर्मि सत्यापन इंटर/इंटर ब्लॉक टीमों द्वारा किया जाएगा। सत्यापन टीमों में सरपंच/मुखिया, पंचायत सचिव, स्वच्छाग्रही, एसएसजी सदस्य, स्कूल शिक्षक, एसबीएम-जी ब्लॉक समन्वयक, एनजीओ सदस्य/राज्य/जिले द्वारा पहचाने गए किसी अन्य उपयुक्त समूह को शामिल किया जा सकता है।

जिले में सहकर्मि सत्यापन टीम का हिस्सा होने वाले टीम के सभी सदस्यों के लिए कम से कम 2 दिवसीय प्रशिक्षण जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा।

ब्लॉक एसबीएम-जी आईएमआईएस लॉगिन के तहत सहकर्मी सत्यापन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग: सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, एक बार सहकर्मी सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, ब्लॉक लॉगिन के तहत एसबीएम-जी आईएमआईएस के माध्यम से प्रत्येक गांव के लिए सहकर्मी सत्यापन प्रतिक्रियाओं रिपोर्ट की जानी है। ब्लॉक एसबीएम-जी आईएमआईएस लॉगिन में प्रत्येक गांव के अंतिम ग्राम स्व-मूल्यांकन के समक्ष सहकर्मी सत्यापन प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का विकल्प दिखाई देगा। तदनुसार, सहकर्मी सत्यापन टीम सौंपे गए प्रत्येक गांव की उस पंचायत के बीडीओ/बीडीपीओ कार्यालय में अपनी सहकर्मी सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसका सहकर्मी सत्यापन किया गया है। बीडीओ/बीडीपीओ अपने ब्लॉक लॉगिन का उपयोग करके एसबीएम-जी आईएमआईएस पर सहकर्मी सत्यापन प्रतिक्रियाओं को समय पर प्रस्तुत करने और अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे/होंगी। सहकर्मी सत्यापन पूरा करने के 48 घंटे के भीतर सहकर्मी सत्यापन टीम, बीडीओ/बीडीपीओ कार्यालय में अपनी रिपोर्ट जमा कर देनी चाहिए।

2. सहकर्मी सत्यापन के लिए प्रक्रिया:

सहकर्मी सत्यापन टीम को अंतिम ग्राम स्व-मूल्यांकन के दौरान भरी गई प्रतिक्रियाओं को सत्यापित करना होगा और ग्राम स्व-मूल्यांकन में दी गई प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। (अनुबंध-1देखें)। सहकर्मी सत्यापन टीम गांव के स्व-मूल्यांकन के दौरान रिपोर्ट किए गए डेटा को सत्यापित करने के लिए प्रमुख प्रभावशाली लोगों और परिवारों के साथ बातचीत कर सकती है। सहकर्मी सत्यापन के दौरान जानकारी इकट्ठा करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रभावशाली लोगों से बातचीत की जा सकती है।

1. ग्राम प्रधान,
2. सरपंच,
3. पंचायत सदस्य
4. सामुदायिक शौचालय प्रभारी
5. स्कूल शिक्षक
6. स्कूल प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक
7. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू)
8. आशा
9. स्वच्छाग्रही,
10. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य
11. ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के सदस्य

सहकर्मी सत्यापन के दौरान, सार्थक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर किया जाए:

ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)

- सहकर्मी सत्यापन टीम को स्व-मूल्यांकन के दौरान यथा सूचित गांवों में संग्रहण और दुलाई के लिए वाहनों, सामुदायिक कंपोस्ट खाद सुविधाओं/सामुदायिक अथवा क्लस्टर गोबरधन परियोजनाओं और कचरा संग्रहण तथा पृथक्करण शेडों जैसी सामुदायिक एसडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों की उपलब्धता हेतु दौरा करने, चिह्नित करने और सत्यापित करने की आवश्यकता है।
- यदि जैविक कचरे का प्रबंधन परिवार स्तर पर किया जा रहा है, तो टीम खाद बनाने/पशुओं को चाराखिलाने आदि के माध्यम से पारिवारिक स्तर पर जैविक कचरे का प्रबंधन करने वाले परिवारों की संख्या का निर्धारण करे। इसी प्रकार सामुदायिक कंपोस्ट खाद व्यवस्था के माध्यम से कवर किए गए परिवारों का भी निर्धारण किया जाना चाहिए।

- तदनुसार, परिवार/सामुदायिक स्तर पर सुरक्षित रूप से जैविक कचरे का प्रबंधन करने वाले कुल परिवारों की कुल संख्या का सत्यापन किया जाना है।
- सहकर्मि सत्यापन टीम को स्रोत पर ही होने वाले कचरे के पृथक्करण, परिवारों/सामान्य स्थानों से कचरे के आवधिक संग्रह का सत्यापन करना चाहिए। तदनुसार, कचरे को अलग करने वाले और कचरा संग्रहणकी सुविधा वाले परिवारों की संख्या को भी ग्राम स्व-मूल्यांकन के दौरान भरी गई प्रतिक्रियाओं की तुलना में सत्यापित किया जाना चाहिए।
- सहकर्मि सत्यापन के तहत यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या कचरा संग्रहण और पृथक्करण शेड में कचरे को विभिन्न श्रेणियों में उचित रूप से अलग किया जा रहा है।
- सहकर्मि सत्यापन टीम को अलग किए गए कचरे और कंपोस्ट खाद के लिए स्थापित फॉरवर्ड लिंकेज को सत्यापित करना चाहिए।

गंदला जलप्रबंधन (जीडब्ल्यूएम)

- सहकर्मि सत्यापन टीम को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या गांव में गंदले जल की व्यवस्था पारिवारिक/सामुदायिक सोखता गड्डों/सामुदायिक गंदला जल प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध है।
- यदि गांव में पारिवारिक सोखता गड्डे हैं तो सोखता गड्डों वाले परिवारों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। इसी प्रकार, सामुदायिक सोखता गड्डों/सामुदायिक जीडब्ल्यूएम व्यवस्थाओं के माध्यम से कवर किए गए परिवारों का भी निर्धारण किया जाना चाहिए।
- तदनुसार, सहकर्मि सत्यापन टीम को पारिवारिक/सामुदायिक स्तर पर गंदला जल प्रबंधन व्यवस्था के कवरेज वाले परिवारों की कुल संख्या का सत्यापन करना चाहिए। अंत में, सहकर्मि सत्यापन टीम को उन परिवारों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए जो किसी भी जीडब्ल्यूएम व्यवस्था के माध्यम से कवर नहीं किए गए हैं।
- यदि गांव में नाले प्राकृतिक/कृत्रिम तालाब/खुले क्षेत्र/खेतों में भूजल को बहा रहे हैं, तो सहकर्मि सत्यापनकर्ता टीम को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या अंतिम ग्राम स्व-मूल्यांकन के दौरान दी गई सूचना के अनुसार नालियों के अंत में भूजल प्रबंधन शोधन इकाइयां मौजूद हैं ताकि शोधित जल प्राकृतिक/कृत्रिम तालाब/खुले क्षेत्र/खेतों में जा सके।

मलीय गाद प्रबंधन

- सहकर्मि सत्यापन टीम को विभिन्न शौचालय टाइपोलॉजी (दो गड्डे, एकल गड्डे, सेप्टिक टैंक, अन्य (ईकोसन आदि) वाले परिवारों की संख्या का सत्यापन करना चाहिए।
- यदि गांव में सेप्टिक टैंक विद्यमान है, तो क्या गांवका डीस्लजिंग वाहनों के साथ लिंकेज है। सहकर्मि सत्यापन टीम को यह सत्यापित करना है कि क्या डीस्लजिंग वाहन एकत्र की गई मलीय गाद काशहरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)/या अर्बन/रूरल फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) में निस्तारण कर रहे हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्यक्ष स्वच्छता, आईईसी और क्षमता निर्माण

- ओडीएफ प्लस गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष स्वच्छता और आईईसी संदेशों की स्थिति को देखने के लिए गांव में कम से कम 2 सार्वजनिक स्थानों (पंचायत भवन/स्कूल/ आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य सुविधा/हाट बाजार) पर जाएं

- प्रमुख सूचनादाताओं के साथ बातचीत के माध्यम से, सहकर्मि सत्यापन टीम को वीडियूएससी की कार्यात्मक स्थिति और ओडीएफ प्लस के संबंध में प्रशिक्षित कर्मियों की उपस्थिति को इकट्ठा करना चाहिए

3. ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत का चयन :

ग्राम पंचायत में गांवों के सहकर्मि सत्यापन स्कोर के औसत के आधार पर, ग्राम पंचायत का सहकर्मि सत्यापन स्कोर एसबीएम-जी आईएमआईएसब्लॉक लॉगिन के तहत स्वतः उत्पन्न होगा। अंतिम सहकर्मि सत्यापित स्कोर के आधार पर, बीडीओ/बीडीपीओ द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के लिए आबादी-आधारित श्रेणियों (15 या अधिक पंचायतों) में से प्रत्येक में 10% ग्राम पंचायतों या 5 ग्राम पंचायतों, जो भी अधिक हो, की पहचान की जाएगी। बराबर अंक होने पर, प्रत्येक आबादी श्रेणी में ग्राम पंचायत की अंतिम सूची को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

1. परिवारों की अधिक संख्या वाली ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी जाएगी
2. यदि अभी भी अंक बराबर हो तो एसडब्ल्यूएम + जीडब्ल्यूएम के तहत उच्च अंकों वाली ग्राम पंचायत को दूसरी से ऊपर माना जाएगा।

ग्राम पंचायतों की सूची उनके अवरोही सहकर्मि सत्यापित स्कोर के आधार पर ब्लॉक एसबीएम-जी आईएमआईएसलॉगिन में उपलब्ध होगी। प्रत्येक आबादी श्रेणी में उच्चतम सहकर्मि सत्यापन स्कोर के आधार पर शीर्ष 10% ग्राम पंचायतों या 5 ग्राम पंचायतों, जो भी अधिक हो, की सूची बीडीओ/बीडीपीओ द्वारा अपने आईएमआईएस लॉगिन का उपयोग करके जिले को अनुशंसित की जानी है। बीडीओ/बीडीपीओ अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करने से पहले प्रत्येक आबादी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत का भौतिक रूप से सत्यापित करेंगे। बीडीओ/बीडीपीओ द्वारा अनुशंसित आबादी-आधारित श्रेणियों में से प्रत्येक में इन शीर्ष 10% ग्राम पंचायतों या 5 ग्राम पंचायतों को तीन आबादी श्रेणियों में ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, प्रत्येक ब्लॉक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों की अपनी सूची जिले को भेजेगा।

4. जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन :

जिला जल और स्वच्छता मिशन, जिले के विभिन्न ब्लॉकों से प्राप्त सूची से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत का मूल्यांकन और शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। ब्लॉकों द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई ग्राम पंचायतों की सूची के आधार पर, जिला प्रत्येक आबादी श्रेणी में 5 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का चयन करेगा, जिन्हें आगे के मूल्यांकन और राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए राज्य को भेजा जाएगा। जिला कलेक्टर प्रत्येक आबादी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को भौतिक रूप से सत्यापित करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा नामित जिले के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक आबादी श्रेणी में शॉर्टलिस्ट की गई शेष ग्राम पंचायतों का सत्यापन करेंगे।

5. राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन :

राज्य जल और स्वच्छता मिशन, राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त सूची से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन और शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। इसके बाद राज्य प्रत्येक

आबादी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों का चयन करेगा, जिसे आगे के मूल्यांकन और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए डीडीडब्ल्यूएस को भेजा जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रराष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु विचार करने के लिए प्रत्येक आबादी श्रेणी में प्रति 1000 पंचायतों में 1 पंचायत या 5 पंचायतों (जो भी अधिक हो) को नामित कर सकते हैं। राज्य, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों की सूची डीडीडब्ल्यूएस को भेजने से पहले शॉर्टलिस्ट की गई ग्राम पंचायतों को सत्यापित करने के लिए एक टीम बना सकते हैं।